



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 1141/12-1 मुनिकीरेती,

दिनांक 03/12/2021।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-टिहरी गढवाल के विकास खण्ड-भिलंगना में मूलगढ-ठेला-गण्डराखाल मोटर मार्ग का भेलगढ से पाण्डवगांव तक विस्तार कार्य के निर्माण हेतु 4.447 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(FP/UK/ROAD/49512/2020).

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक-1330/12-1, दिनांक-29.11.2021।

महोदय,


उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/०६/६९/२०२१/एफ०सी०/६०८, दिनांक-25.08.2021 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है :-

आपत्ति-उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है, कि सी०ए० क्षेत्र के डी०एस०एस० विश्लेषण के अनुसार 3.00 हे० क्षेत्र एम०डी०एफ० में पाया गया है, जिस हेतु 3.00 हे० अतिरिक्त क्षेत्र सी०ए० हेतु प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश संख्या-एफ.न. 11-423/2011-एफ०सी०, दिनांक-08-11-2017 के प्राविधानों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि में वनक्षेत्र अधिक होने से अवनत वन भूमि (Degraded Forest) में उपलब्ध भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा सकती है।

निराकरण-प्रयोक्त अभिकरण द्वारा उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र के डी०एस०एस० विश्लेषण के अनुसार 3.00 हे० क्षेत्र एम०डी०एफ० में पाया गया है, जिस हेतु 3.00 हे० अतिरिक्त क्षेत्र सी०ए० हेतु प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना राजि घनसाली के पत्र संख्या-223/12-1, घनसाली, दिनांक-23-10-2021 को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त 3.00 हे० अतिरिक्त सी०ए० भूमि हेतु आरक्षित वन थार्ती बीट के अन्तर्गत मल्याकोट, कक्ष संख्या-4बी० में ओक वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन किया गया है, जिसकी जी०पी०एस० लोकेशन N-30°21'25.9", E-78°46'54.4" तथा ऊँचाई 1979 मीटर है। उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त 3.00 हे० भूमि का चयनित स्थल का टोपो शीट मैप, जियो रिफरेन्स मैप 4 प्रतियों में सलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।


संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(डॉ० धीरज पाण्डेय)  
वन संरक्षक

संख्या - 1141/ , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डॉ० धीरज पाण्डेय)  
वन संरक्षक